अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2003

का.आ. 1366(अ).– जबकि, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 19 मई, 1997 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 388 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने सेवा मंडल मेघराज, पो0 आ0 कासना जिला-साबरकांठा, गुजरात 383350 द्वारा ग्राम कासना, जिला साबरकांठा, गुजरात में अस्पताल के अंतरंग वार्ड का निर्माण, बालवाड़ी, सिंचाई के टैंक तथा उपकरण और अस्पताल के लिए वाहन की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 8 पर विनिर्दिष्ट किया था; तथा जिसे बाद में दिनांक 29 मार्च, 2000 की अधिसूचना सं0

सां0 आ0 296 (अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेवा मंडल मेघराज, पो0 आ0 कासना जिला-साबरकांठा, गुजरात 383350 द्वारा ग्राम कासना, जिला साबरकांठा, गुजरात में अस्पताल के अंतरंग वार्ड का निर्माण, बालवाड़ी, सिंचाई के टैंक और उपकरण और अस्पताल के लिए वाहन की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए केवल पैंतालीस लाख उनसाठ हजार की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 318/2003/फा. सं. एन.सी.-240/2003]

ए. जे. मजूमदार, सचिव (राष्ट्रीय समिति)